न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री बृजमोहन बैरवा आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 105/2022/अपील/एलआरएक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 6.4.2022
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. अनवर अली आत्मज भूरे खां जाति मुसलमान निवासी अलोद तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज0।

...अपीलार्थीग

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी राज0।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री सी0पी0 खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार–रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 2.5.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रार्थना पत्र सं0 80/प्रा0 पत्र/2020 बउनवान अनवरअली बनाम राज0 सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डोली मे प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत विजयगढ मे पारित निर्णय दिनांक 8.10.2021 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध प्रथम अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली मे खसरा नम्बर 1590 की 6 बीघा 18 बिस्वा एंव 1616 की 13 बीघा आराजी स्थित है जिसके सेटलमेंट से पूर्व साबिक नम्बर 1228 मि. व 1227 मि. है जो सेटलमेट से पूर्व सिवायचक किस्म बजड दर्ज थे। परन्तु बाद सेटलमेट उक्त आराजी नाकाबिल काश्त दर्ज कर दी गई जबकि किस्म बदलने का अधिकार सेटलमेट/राजस्व कर्मचारियो को नही था। इसलिये अपीलांट द्वारा उक्त आराजी की किस्म इन्द्राज दुरूस्ती बावत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 8.10.2021 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होना मानकर खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। उक्त आराजी काबिल काश्त अर्थात कृषि के लिये उपलब्ध थी तथा किस्म बजड थी। यह तथ्य भी जमाबंदी सं0 2013 से 2016 से स्पष्ट था ऐसी स्थिति मे सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना विवादित आराजी की किस्म परिवर्तित नही की जा सकती। अधीनसथ न्यायालय द्वारा विवादित मामले मे तहसीलदार हिण्डोली से मंगवाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 5.10.2021 से भी प्रार्थना पत्र के तथ्य की पुष्टि होती है एंव अपीलांट का हाल खसरा नम्बर 1590 की रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा तथा ख0 नं0 1616 की 4 बीधा आराजी पर कब्जा काश्त तथा उक्त भूमि मौके पर काबिज काश्त बताई गई है। अपीलांट के कब्जे की पुष्टि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से भी होती है ऐसी स्थिति मे अपीलांट उक्त भूमि को आवंटन/नियमान कराने की पात्रता रखता है। उपखण्ड अधिकारी को भूमि की किस्म बदलने का कोई अधिकार नही है ऐसी स्थिति मे भूमि की मिस्म बदलने के मामले मे तस्दीक नामा0 सं0 341 क्षेत्राधिकार के परे होने से उक्त नामान्तरकरण अवैध एंव प्रभावशून्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 8.10.2021 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1590 एंव

1616 ग्राम अलोद तह0 हिण्डोली की किस्म काबिल काश्त दर्ज करते हुये सेटलमेंट के पूर्वानुसार बंजर दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की इसतदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे लिखित बहस पेश की जिसके तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम अलोद तहसील हिण्डोली मे खसरा नम्बर 1590 की 6 बीघा 18 बिस्वा एंव 1616 की 13 बीघा आराजी स्थित है जिसके सेटलमेंट से पूर्व साबिक नम्बर 1228 मि. व 1227 मि. है जो सेटलमेट से पूर्व सिवायचक किस्म बजड दर्ज थे। परन्तु बाद सेटलमेट उक्त आराजी नाकाबिल काश्त दर्ज कर दी गई जबकि किस्म बदलने का अधिकार सेटलमेट/राजस्व कर्मचारियो को नही था। इसलिये अपीलांट द्वारा उक्त आराजी की किस्म इन्द्राज दुरूस्ती बावत एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट के तहत अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया जिसे दिनांक 8.10.2021 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होना मानकर खारिज करने मे विधिक त्रुटि की है। उक्त आराजी काबिल काश्त अर्थात कृषि के लिये उपलब्ध थी तथा किस्म बजड थी। यह तथ्य भी जमाबंदी सं0 2013 से 2016 से स्पष्ट था ऐसी स्थिति मे सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना विवादित आराजी की किस्म परिवर्तित नही की जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित मामले मे तहसीलदार हिण्डोली से मंगवाई गई मौका रिपोर्ट दिनांक 5.10.2021 से भी प्रार्थना पत्र के तथ्य की पुष्टि होती है एंव अपीलांट का हाल खसरा नम्बर 1590 की रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा तथा ख0 नं0 1616 की 4 बीधा आराजी पर कब्जा काश्त तथा उक्त भूमि मौके पर काबिल काश्त बताई गई है। अपीलांट के कब्जे की पुष्टि प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से भी होती है ऐसी स्थिति मे अपीलांट उक्त भूमि को आवंटन/नियमान कराने की पात्रता रखता है। उपखण्ड अधिकारी को भूमि की किस्म बदलने का कोई अधिकार नही है ऐसी स्थिति मे भूमि की किस्म बदलने के मामले मे तस्दीक नामा0 सं0 341 क्षेत्राधिकार के परे होने से उक्त नामान्तरकरण अवैध एंव प्रभावशून्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 8.10.2021 निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 स्वीकार किया जाकर हाल खसरा नम्बर 1590 एंव 1616 ग्राम अलोद तह0 हिण्डोली की किस्म काबिल काश्त दर्ज करते हुये सेटलमेंट के पूर्वानुसार बंजर दर्ज करने के आदेश प्रदान करे।

4 पैरोकार सरकार रेस्पो0 ने अपनी बहस मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मियाद बाहर है। डिले कन्डोने हेतु अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एंव प्रार्थना मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है। रेस्पो0 पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र एंव शपथ पत्र मे उल्लेखित तथ्यों का खण्डन नही किया है तथा ना ही खण्डन मे कोई प्रतिउत्तर ही पेश किया है ऐसी स्थिति मे अपीलांट द्वारा शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रावली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर न्यायहित मे प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 हमने पत्रावली का गुणावगुण के आधार पर विचार कर आध्योपांत अवलोकन किया तथा विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रकरण मे प्रस्तुत लिखित बहस तथा बहस रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। विवादित भूमि खसरा नम्बर 1590 व 1616 ग्राम अलोद वर्तमान राजस्व रेकार्ड मे झाड झखांड वाले वन (चरागाह) किस्म गैर मुमकिन दर्ज है। पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एंव मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 5.10.21 के सं0 2076–2079 (वर्ष 2019) में ख0 नं0 1590 रकबा 1.18 (0.3076)गै0मु0व ख0 नं0 1616 रकबा 9.15 (1.5783) गै.मु.किस्म गै0मु0 दर्ज रेकार्ड है तथा नकल भू प्रबन्ध विभाग खतोनी जमाबंदी

अति. सं. आयुक्त

सं0 2028 से 2047 मे ख0 नं0 1590 रकबा 6.18 बीघा किस्म बंजड व ख0 नं0 1616 रकबा 13 बीघा किस्म बंजड दर्ज है जिसके सेटलमेट से पूर्व साबिक खसरा नमबर 1228 मि. व 1227 मि. मुताबिक मिलान खेत्रफल पुष्टि होती है। मुताबिक मौका रिपोर्ट वर्तमान मे ख0 नं0 1590 रकबा 1.18 मे मक्का व ख0 नं0 1616 मे लगभग 4 बीघा पर चावल की फसल बो रखी है जिससे मौके पर भूमि काबिज काश्त होना प्रमाणित है। अतः मुताबिक राजस्व रिकार्ड अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों की पुष्टि होती है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अतिचार के आधार पर भूमि की किस्म बदलवाने का प्रार्थी/अपीलार्थी को कोई हक व अधिकार प्राप्त नही होने से पोषणीय नही होने से खारिज किया है जिसे हम न्यायोचित नही पाते है क्योंकि भूमि की श्रेणी बदलने का सेटलमेंट/राजस्व कर्मचारियों को कोई अधिकार प्राप्त नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त कानूनी तथ्यों पर गौर किये बिना ही आलौच्य जेरअपील निर्णय 8.10.21 पारित कर विधिक त्रुटि की है। लिहाजा उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आलौच्य जेरअपील निर्णय 8.10.21 अपास्त किये जाने योग्य है। पणिामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य जेरअपील निर्णय 8.10.21 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनसथ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित/रिमाड किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी के संबध मे मिलान क्षेत्रफल, सेटलमेंट से पूर्व एंव सेटलमेंट के बाद के राजस्व रिकार्ड का समुचित परीक्षण कर पक्षकारान को सुनवाई एंव साक्ष्य सबूत पेश करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

7 निर्णय आज दिनांक 2.5.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(ब्रजमोहन बैरवा)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा